न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुंतला चौधरी, आर0ए0एस0

प्रार्थी

मूपाराम पुत्र भेरजी जाति कुम्हार
निवासी छीबागांव तह0 शिवगंज

बनाम

अप्रार्थीगण

1.कसु पुत्री नवाराम
2.जूजाराम पुत्र गजाराम
3.तोगाराम पुत्र गजाराम
4.नाजु पुत्री नवाराम
5.पदमाराम पुत्र नवाराम
6.मृ. गवरी पत्नी हकमा
7.लाखाराम पुत्र गजाराम
8.लीलु पत्नी नवाराम
9.वरदाराम पुत्र हकमा
10.सवदाराम पुत्र हकमा
11.सवाराम पुत्र नवाराम
समस्त जातियान रेबारी निवासीयान– छीबागांव तह शिवगंज
12.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा

विद्वान अधिवक्ता श्री रतनसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी सं0 1, 3 ता 11

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 40/2022
दिनांक 21.05.2024

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा छीबागांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 215 रकबा 0.5747 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ मुझे अपनी कृषि आराजी पर आने जाने के लिये तथा मवेशी ट्रेक्टर आदि जाने के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। मौजा छीबागांव के खसरा नं0 215 में प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित ए से बी में स्थित रास्ते से आते जाते थे। तथा वर्तमान में आवागमन हेतु रास्ता नहीं है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की उपरोक्त राजस्व आराजी के पास खसरा नं0 214 रकबा 0.1538 हेक्टयर भूमि में नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित 'ए' से 'बी' स्थान होता हुआ 20 फीट चौडा रास्ता है। जो पूर्व के समय है। तथा उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता विधमान नहीं है। जिस कारण प्रार्थी के खेत, बोरवेल व कुआं आदि में आने जाने हेतु आवागमन में परेशानी उत्पन्न होती है। अप्रार्थी राज0 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज की जमीन आई हुई है। तथा प्रार्थी को अपनी राजस्व आराजी पर कृषि कार्य हेतु जाना मुश्किल हो गया है। व खेती नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी के राजस्व भूमि तक जाने हेतु यह सबसे लघुत्तम दूरी का रास्ता है तथा प्रार्थी के खेत तक जाने हेतु अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया जाकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 866 दिनाक 17.11.2022 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी सं0 2 के अनुपस्थित रहने व अप्रार्थी सं0 1, 3 ता 11 को नोटिस तामील होने व उ[illegible] अनुपस्थित रहने व जवाब नहीं देने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर अप्रार्थी सं0 1 [illegible] के जवाब बंद किये गये। तहसीलदार शिवगंज द्वारा उनके पत्र कमांक 205 दि[illegible] जॉच रिपोर्ट एवं रास्ता हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा ट्रेस जिसमें लाल [illegible] अंकित किया है कि रिपोर्ट इस आशय से प्राप्त हुई कि प्रार्थी की [illegible] लिए प्रस्तावित मा[illegible] छीबागांव के खसरा नं0 214 किस्म बारानी–3 रकबा 0.1538 है. में से गु[illegible] है ग्राम के खाता स[illegible] अनुसार कुल 13 खातेदार संलग्न जमाबंदी अनुसार है। प्रस्तावित रास्ता 6 मीटर चौडा एवं 28 मीटर लम्बा है। जिसका क्षेत्रफल 168 वर्गमीटर बनता है। जो निकटवर्ती रास्ता खसरा नं0 198 किस्म बारानी–3 रकबा 0.0809 हैक्टयर से लगता है। उक्त रास्ता संलग्न जमाबंदी खाता सं0 35 कुल खातेदार 2 के नाम से खातेदारी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.24 10:42:43 IST
Reason: SelfAttested

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 40/2022
मूपाराम बनाम कसु वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

उक्त खसरा नं0 198 खातेदारी का खसरा नं0 197 किस्म गै0मु. रास्ता रकबा 0.5261 हैक्टयर जो लगता हुआ है। जो ग्राम पंचायत छीबागांव के नाम दर्ज है। संलग्न जमाबंदी खाता सं0 207 संलग्न है। यह मार्ग लघुत्तम नहीं है। परन्तु संलग्न नक्शें में दर्शित 'सी' से 'डी' लघुत्तम दूरी के मार्ग के बीच में खातेदारों द्वारा निर्मित एक 10 बाई 12 फीट का थान (पूजा का स्थान) निर्मित है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गए स्थान 'ए' से 'बी' ही मार्ग दिया जाना प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित रास्ता के बीच कोई संरचना निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डीएलसी दर 113558 रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसके अनुसार प्रस्तावित रास्ता 'ए' से 'बी' कुल क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर की कीमत रूपये 1908/– रूपये बनती है। जिसकी दुगनी कीमत 3816/–रूपये होती है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 21.05.2024 को बहस की जिसे सुना गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने ए से बी मार्ग अनुसार रास्ता दिये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन, तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता सी से डी लघुत्तम दूरी पर है, परंतु सी से डी मार्ग के बीच में खातेदारों द्वारा निर्मित एक 10 बाई 12 फीट का थान निर्मित है जिससे सी से डी मार्ग पर रास्ता दिया जाना उचित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा चाहे गए 'ए' से 'बी' पर रास्ता दिया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा छीबागांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 215 रकबा 0.5747 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा छीबागांव के खसरा नं0 214 रकबा 0.1538 हेक्टयर भूमि में से रास्ता दिये जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता 6 मीटर चौडा एवं 28 मीटर लंबा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 168 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि की डीएलसी दर 113558/–रूपये प्रति हैक्टयर है। डीएलसी दर अनुसार रास्ता की मालियत राशि रूपये 1908/–रूपये बनती हैं जिसकी दुगनी कीमत 3816/–(तीन हजार आंठ सौ सौलह) रूपये बनती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से तहसीलदार शिवगंज द्वारा संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार शिवगंज के जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा छीबागांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 215 रकबा 0.5747 हैक्टयर भूमि में पंहुचने हेतु मौजा छीबागांव के खसरा नं0 214 रकबा 0.1538 हैक्टयर में से रकबा 168 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित होने से तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता 6 मीटर चौडा एवं 28 मीटर लम्बाई कुल प्रस्तावित रास्ता 168 वर्गमीटर भूमि की राशि 1908/–रूपये बनती है जिसकी दुगनी राशि 3816/– (तीन हजार आंठ सौ सोलह) रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों को जमा कराने या खातेदारान द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 21.05.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.24 10:42:43 IST
Reason: SelfAttested

कमांक/कोर्ट/2024/ 300
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

सहायक कलक्टर,
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)